

अंचल अधिकारी 114 का कार्यालय

एफिफेशन नं० संख्या 470/2016-17

विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

19.10.2020

आरखण्ड सरकार के ड्रापक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 संपादित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-निर्देश राचित, राजस्थान एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-आ०ग०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-निर्देश संख्या विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निर्देश का अनुपालन में गैरमरूआ खारा भूमि की कायम की गयी जायबंदियों की जांच करने की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्थान कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- धौलपुर थाना धौलपुर, खाता संख्या- 20 प्लॉट संख्या 61/6,
620/3 संख्या 1-65 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खारा, अनावाद विहार (आरखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिराकी जमावदी उस मौजा के फौजी-11 के जिल्द संख्या 01 के पृष्ठ संख्या- 02 पर जमावदी रैयत पाल पांडे के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के निरूद्ध कायम जमावदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमावदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडबस्ती बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सख्त हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को शक्ति कारिल करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सख्त जमावदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतः संबंधित जमावदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्या नई जमावदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुरोधित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 27/10/2020 को उपस्थापित करें।

निदेशाभि [Signature]
अंचल अधिकारी

[Signature]
अंचल अधिकारी
114

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
04.11.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थित दी गई है। जमाबंदी रैयत पारु पाहन के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं० 344326 वर्ष 2009-10 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा घोरपिण्डा, थाना नं० 58 के सर्वे खतियान में खाता सं० 20 प्लॉट 611, एवं 620 कुल रकबा 1.65 एकड़ भूमि गैरमजुरुआ खास दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ठ सं० 02 पर खाता सं० 20/15 कुल रकबा 1.65 एकड़ पारु पाहन के नाम से दर्ज है। जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। गैरमजुरुआ खास बंदोबस्ती अभियान पंजी में खाता सं० 20 प्लॉट सं० 611/6 एवं 620/3 रकबा क्रमशः 0.97 एवं 0.68 कुल रकबा 1.65 पारु पाहन के नाम से दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर संबंधित पक्ष का लगभग 30 वर्षों से दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं० 20 प्लॉट 611, एवं 620 कुल रकबा 1.65 एकड़ भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p>	